

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (310) आकाशि/अनु/2003/2115

दिनांक: 75/12/09

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2009-10 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	310	विजय सिंह पथिक पी.जी. महाविद्यालय	बनवारी पुर मोड़ के पास, श्री महावीरजी जिला करौली	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	पूर्व संचालित विषय संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय-हिन्दी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान

- संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
- संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा ।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
- विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
- प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यिकी प्रतिवेदन प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी ।

A. A. D. S.

आयुक्त
कालेज शिक्षा राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- जिला कलेक्टर, करौली ।
- विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.जी.)
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- संबन्धित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
- रक्षित पत्रावली ।

(Signature)

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)



राजस्थान सरकार
निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (151)आकाशि/नि.सं./2003/1136

दिनांक:- 09/09/2020

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2020-21 से स्नातक स्तर पर नवीन विज्ञान संकाय में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	संबद्ध विश्वविद्यालय	नवीन संकाय/विषय
लक्ष्मी आदर्श शिक्षा समिति, गुडाचन्द्र जी, श्री महावीर जी, डिण्डौनसिटी, करौली।	विजय सिंह पथिक महाविद्यालय, श्री महावीर जी करौली।	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर - विज्ञान संकाय- वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित।


1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में वी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2019-20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. यदि संस्था की भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं है तो संस्था को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में भू-रूपान्तरण आदेश कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
12. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।
13. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में निदेशालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।


निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा10 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, करौली।
4. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक

संयुक्त-निदेशक : नि0सं0
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2025-2026/0072

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2024-25 से नवीन संकाय /विषय में स्थाई अनापति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है-

संचालक संस्था : LAXMI AADARSH SHIKSHA SAMITI GUDACHANDRA JI head office
shri mahaveer ji tehhindaun city dist-karauli pin-322220 (raj.)

महाविद्यालय का नाम : Vijay singh pathik college shri mahaveer ji BANWARIPUR
MODE, SHRI MAHAVEER JI teh-hindaun city dist-karauli 322220, , Bharatpur
Division, Karauli.

सम्बद्ध विश्वविद्यालय :University of Kota,Kota

पूर्व संचालित संकाय/ विषय : Science स्नातकोत्तर Botany, Chemistry, Physics,
Zoology

- 1.संस्था स्थाई अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
- 2.संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफडीआर) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 3.आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। अधिकृत अधिकारी द्वारा मांगा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- 4.संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- 5.संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में BCI से मान्यता व विश्वविद्यालय से समद्वता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- 6.संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- 7.संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
- 8.राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2024-25 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा ।
- 9.संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- 10.मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-ii) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर करौली।
5. कुल सचिव, University of Kota,Kota।
6. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय ।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली



Signature valid

Digitally signed by O. Prakash
Bairwa
Date: 2024.12.12 11:32:12 IST
Reason: SelfAtted



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
Email: jdbed.cce@gmail.com Ph: 0141-2206736 (O);

क्रमांक:—एफ.24(NOC 25-26)/बी.एड./आकाशि/2025/

दिनांक: हस्ताक्षर दिनांक

समन्वयक, पीटीईटी 2025,
वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।

विषय:—सत्र 2025-26 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.— 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) की काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु सूची भिजवाये जाने बाबत।

क्षेत्रीय समिति, एनसीटीई से मान्यता एवं राज्य सरकार से स्थाई/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं (बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.— 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) की सूची संलग्न कर काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अद्योलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें—

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रदेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पीटीईटी परीक्षा 2025 की मेरिट के आधार पर बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.— 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जायेंगे।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
4. योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फंडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा प्रवेश आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।
6. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
 - I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
 - II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
 - III. अनुमोदित शैक्षणिक रटॉफ एवं अशैक्षणिक रटॉफ की सूची
 - IV. संघालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
 - V. अन्य आवश्यक सभी सूचनाएं
7. प्रभावी एनसीटीई रेगुलेशन की पालना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

यह राज्य सरकार से अनुमोदित है।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7, रोड नं-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
6. सचिव, समस्त राजप्रेषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. सचिव/प्राचार्य/सचिव, समस्त संघालित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
8. प्रभावी वेबसाइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराव।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
11. ईदल पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Sunil Bhati
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.06.11 14:44:06 IST
Reason: Approved

प्राचार्य

विजयसिंह पब्लिक महाविद्यालय
श्रीमहावीरजी (करोली)

B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. (4 Year Integrated)

S. No.	District	Institute Name	Address	Tehsil	Type	Total Seats
		Parshvanath Jain Mahavidhyalaya	Dist- Jodhpur			
211	Karauli	Bhagwan Mahaveer Teacher Training College	Village Kachroli, Tehsil Hindon City, Karauli	Hindon City	सहशिक्षा	100
212	Karauli	Mother Teresa Teacher Training College,	Village Gaddipura, Lahchora Road, Tehsil Hindon City, District Karauli 322230	Hindoncity	सहशिक्षा	100
213	Karauli	Nehru College of Education,	Village Hindaun City, Bayana Road, Tehsil Hindaun City, Dist.-Karauli 322230	Hindaun city	सहशिक्षा	100
214	Karauli	Nirmal Teacher Training college	Bayana Road, Vill-Hindaun City, Teh- Hindaun City, dist- karauli	Hindon City	सहशिक्षा	100
215	Karauli	Rajasthan College of Teacher Training	Khasra No.950 & 954, Village-Kheda , Tehsil- Hindon City Dist- Kauroli	Hindon City	सहशिक्षा	100
216	Karauli	Sorabh College of Teacher Training	Khasra No.951 & 953, Village Kheda , Tehsil Hindon City Dist- Kauroli	Hindon City	सहशिक्षा	100
217	Karauli	Sorabh College of Teacher Training	Village Mashalpur, Kheda Road, Tehsil-Mashalpur, Karauli	Masalpur	सहशिक्षा	100
218	Karauli	Veena Memorial Degree College	Plot No 5928/2 , Tehsil- Karauli, Dist- Karauli	Karauli	सहशिक्षा	100
219	Karauli	Vijay Singh Pathik. College.	Banwaripur Mode, Shri Mahaveer Ji , Tehsil- Hindaun City, Dist- Karauli - 322220	Hindoncity	सहशिक्षा	100
220	Karauli	Vikekanand Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya,	Village -Suroth, Bayana Road, Tehsil-Hindon City, District- Karauli -322252	Hindoncity	सहशिक्षा	100
221	Kota	Aklank College of Education,	Basant Vihar, Blood Bank Lane, Tehsil-Ladpura, Dist- Kota-324009	Ladpura	सहशिक्षा	100
222	Kota	Arihant T.T. College	Vill- Chandrasal, Teh-Ladpura, Kota	Ladpura	सहशिक्षा	100
223	Kota	Hitkari Sahkari Mahila Shiksha Mahavidyalaya,	Village -Arampura, (Dhakhar Kheri) Kaithoon Road, Tehsil- Ladpura, District-Kota-325001	Ladpura	महिला	100
224	Kota	Kautilya Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya	Village-Nayagaon, Teshsil- Ladpura, NH-76,By pass, Dist.- Kota-324010	Ladpura	महिला	100
225	Kota	Lzebra Girls College,	Block B, Sidni Street, Near Saras Dairy, Shivpura, Rawat Bhata Road, Kota	Kota(Ladpura)	महिला	100
226	Kota	Maa Bharti P.G. College,	Mahavir Nagar-II, Tehsil- Ladpura, Kota	Ladpura	सहशिक्षा	100
227	Kota	R.M. Memorial Women T.T. College,	Ujwal Vihar, Baran Road, Tehsil-Ladpura, Dist-Kota- 324001	Ladpura	महिला	100
228	Kota	Sarvodaya Teacher Training College,	Village-IPC(Part-B) RIICO Rampur, Institutional Area . Tehsil-Ladpura, Kota	Ladpura	सहशिक्षा	100
229	Kota	Shri Krishna Teachers Training College,	Naya Nohra, Village Kota, Tehsil-Ladpura, Dist-Kota- 324002	Ladpura	सहशिक्षा	100
230	Nagaur	Aadrsh Shikshan Prashikshan Sansthan	Village-Deu, Tehsil- Khimsar, Nagaur	Khimsar	सहशिक्षा	100
231	Nagaur	Adarsh Mahaavidyaalay,	Village - Kuchaman City, Station road Taluka Kuchaman City, District- Nagaur 341508	Kuchamancity	सहशिक्षा	100
232	Nagaur	Agrawal College Merta City	Chundiya Road, Merta City., Nagaur	Mertacity	सहशिक्षा	100
233	Nagaur	Agrawal Girls College Mertacity	Mertacity., Nagaur	Mertacity	महिला	100
234	Nagaur	Agrawal Girls T.T. College,	Tehsil-Mertacity,	Mertacity	सहशिक्षा	100
235	Nagaur	Agrawal Shikshak Prashikshan	Tehsil-Mertacity,	Mertacity	सहशिक्षा	100

Signature valid

Digitally signed by Sunil Bhat
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.06.11 14:44:06 IST
Reason: Approved

Sunil Bhat
प्राचार्य

विजयसिंह पब्लिक महाविद्यालय
श्रीमहवीरजी (करौली)